उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट

14– अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार

लखनऊ

संख्या 3304/ट्रस्ट/सा0भ0नि0 — दिनांक 20 सितम्बर 2004

कार्यालय ज्ञाप

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियम 1985 में प्राविधान है कि सेवानिवृत्त के छः माह पूर्व अंशदान बन्द कर दिया जाय परन्तु अन्तिम भुगतान के प्रकरणों के निस्तारण के दौरान यह संज्ञान में आ रहा है कि इकाइयों द्वारा कार्मिकों के सेवा निवृत्त की दिनांक तक तथा कुछ मामलों में सेवा निवृत्त के पश्चात भी धनराशि खाते में जमा की जाती रहती है जिसके परिणामस्वरूप अन्तिम भुगतान के प्रकरणों के सामायेक निस्तारण में विलम्ब होता है और यदि निस्तारण हो चुका होता है तो पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता पडती है। अतः कार्मिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए एवं सामान्य भविष्य निधि के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई में कार्मिक के सामान्य भविष्य निधि खाते में सेवा निवृत्त की अन्तिम छः माह एवं सेवा निवृत्त के पश्चात खाते में किसी भी प्रकार कोई भी धनराशि जमा न की जाये यदि किन्ही भी आदेशों के अर्न्तगत ऐसी धनराशि जमा किया जाना अपरिहार्य हो तो उसे इकाई स्तर पर ही भुगतान नकद कर दिया जाये। इस प्रकार जमा धनराशि पर सामान्य भविष्य निधि खाते में किसी भी प्रकार का ब्याज अनुमन्य न होगा।

कृपया आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित रखे।

(मनोज कुमार भगत)
सचिव

सं0 3304/ट्रस्ट/सा0भ0नि0 — तददिनांक : 20 सितम्बर 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त ट्रस्टीगण, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
6. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
7. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
8. महा प्रबन्धक (वित्त)/लेखा/उपमहाप्रबन्धक-लेखा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
9. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
10. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।

(मनोज कुमार भगत)